न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29/2021 (राजसमन्द डिक्री)

जमनादास पिता श्री भैरूलाल वैष्णव, नि. कुरज, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भैरूलाल पिता श्री भंवरलाल ब्राहमण, नि. कुरज, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवकिशन पिता श्री केशुलाल ब्राहमण, नि. कुरज, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण संख्या 5/2020 दिनांक 24.08.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाशक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 31–08–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद स्वत्व घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुरज में आराजी नंबर 3099 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व आराजी नंबर 3100 रकबा 3 बीघा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1286, 1287, 1288, 1289 कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा थे। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता भैरूदास पिता सीताराम दास वैरागी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज भंवरलाल, केशुलाल पिता कालुराम ब्राहमण को बिल एवज 500/– रूपये में विक्रय कर दी एवं विक्रय इकरार पत्र दिनांक 10–07–1960 को निष्पादित कर दिया, किन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वज भंवरलाल व प्यारीबाई ने पुनः उक्त आराजियात बिल एवज 500/– रूपये में दिनांक 14–07–1976 को वादी के पिता भैरूदास वैरागी को अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा वादी के पिता को सौप दिया, तब से निरन्तर वादी के पिता के समय से वादी का कब्जा चला आ रहा है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुई, जिसे पुनः वादी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वाद वर्णित आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–08–2021 से वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया एवं वादी को वर्तमान डी.एल.सीत्र दर से नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा बराने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 21–12–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जबकि शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की पत्नी बीमार होने से वह अपनी पत्नी की तिमारदारी में वयस्थ रहा तथा दिनांक 05–12–2021 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि दिनांक 10–07–1960 से पहले यानि मेवाड़ राज्य के समय रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रभाव में था तथा 100/– रूपये से अधिक का विक्रय विेख पंजीकृत होना आवश्यक था। जब दिनांक 10–07–1960 का विक्रय विलेख अनरजिस्टर्ड है, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी के हक में किसी प्रकार के हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं तथा उक्त विक्रय इकरार वर्ष 1976 में कैन्सल भी कर दिया गया। इस कारण उक्त विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है एवं उसके पश्चात् प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी का अंकन हुआ वह भी गलत है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर से पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा कराने का आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट अपने पिता द्वारा प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को अवैध बताते हुए प्रतिवादी के नाम दर्ज भूमि पुनः अपने खाते दर्ज कराना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वर्तमान डी.एल.सी. दर से नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा कराने जाने की शर्त पर अपीलान्ट को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलान्ट पंजीयन शुल्क बचाकर भूमि पुनः अपने नाम दर्ज कराना चाहता है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है, जिसमें हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

जमनादास पिता श्री भैरूलाल वैष्णव, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द	बनाम	**भैरूलाल पिता श्री भंवरलाल ब्राहमण, निवासी कुरज, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**29 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**08**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री श्याम सुन्दर पालीवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**राजकीय अभिभाषक**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31.**.....माह.....**08.**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:56:22 IST
Reason: SelfAttested